न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 1013–एक/2002 विरूद्ध आदेश दिनांक 4–4–2002 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के प्रकरण कमांक 63/2001–02/अपील

.....

1–महेन्द्रसिंह पुत्र किशनसिंह रघुवंशी
2–किशनसिंह पुत्र दंगलसिंह रघुवंशी
निवासी गण ग्राम नठाई तहसील आरोन
जिला गुना म0प्र0

..... आवेदकगण

विरूद्ध

1–श्रीमती सुलोचना बाई विधवा पत्नी कन्हैयाराम रघुवंशी
2–गुड्डी बाई पुत्री कन्हैयाराम रघुवंशी
निवासी गण ग्राम नठाई तहसील आरोन
जिला गुना म0प्र0

..... अनावेदकगण

.....

श्री एस0के0वाजपेयी, अभिभाषक–आवेदकगण
श्री के0के0द्विवेदी, अभिभाषक–अनावेदकगण

.....

:: आदेश ::

(आज दिनांक 11/5/18 को पारित)

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 04–04–2002 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक द्वारा तहसीलदार के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर ग्राम नठाई स्थित भूमि रकबा 2.947 पर वसीयत के आधार पर अमानसिंह के स्थान पर नामान्तरण की मॉग की गई । तहसीलदार द्वारा विधिवत कार्यवाही प्रारंभ करते हुये दिनांक 27–5–1998 को नामान्तरण के आदेश दिये गये हैं जिसे अनुविभागीय अधिकारी ने अपने अपीलीय आदेश दिनांक 20–12–1999 द्वारा निरस्त किया जाकर सभी हितबद्ध पक्षकारों को सुनवाई का अवसर दिये जाने के निर्देश तहसील न्यायालय को दिये गये । तहसीलदार द्वारा

पुनः कार्यवाही प्रारंभ करते हुये दिनांक 29–6–2001 की वसीयत के आधार पर नामान्तरण के आदेश दिये गये, जिसे अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 9–11–2001 को निरस्त किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 4–4–02 को आदेश पारित कर अपील अस्वीकार की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय ने नियमानुसार कार्यवाही करने एवं दोनों पक्षों को सुनवाई का पर्याप्त अवसर देकर आवेदक के हित में वसीयतनामें के आधार पर नामान्तरण आदेश दिया था जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निरस्त करने में अवैधानिक कार्यवाही की गई है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि वसीयतनामा साक्ष्य द्वारा सिद्ध किया गया है । विववादित भूमि के भूमिस्वामी आवेदक कमांक 1 के पिता व आवेदक कमांक 2 के बडे भाई अमानसिंह थे, उन्होंने स्वेच्छा से आवेदक कमांक 1 के हित में वसीयतनामा निष्पादित किया था । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वसीयतनामें को सिद्ध करने हेतु दी गई साक्ष्य की पूर्ण विवेचना किये बिना ही विवादित आदेश पारित किया गया है, जो विधि के प्रावधानों के विपरीत है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा ग्राम पंचायत के ठहराव अनुसार नामान्तरण के निर्देश देने में गंभीर वैधानिक भूल की गई है, क्योंकि ग्राम पंचायत का ठहराव प्रस्ताव आवेदकगण को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही पारित किया गया होने से शून्यवत् था । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि विवादित भूमि के भूमिस्वामी अमानसिंह की मृत्यु के समय आवेदक कमांक 2 जो अमानसिंह का सगा भाई है, हिन्दू उत्तराधिकार विधि की अनुसूची कमांक 2 के वर्ग–2 की प्रविष्टि 3 के अनुसार एकमात्र उत्तराधिकारी था । इस कारण भी अनावेदकगण अमानसिंह की मृत्यु के समय नामान्तरण की पात्रता नहीं आती है तथा आवेदक कमांक 2 के हित में नामान्तरण आदेशित करना चाहिये था । उनके द्वारा निगरानी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालयों द्वारा पारित आदेश निरस्त किये जाकर तहसील न्यायालय द्वारा पारित नामान्तरण आदेश अथवा हिन्दू उत्तराधिकार विधि

के अनुसार नामान्तरण किये जाने के निर्देश प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यही कहा गया कि अधीनस्थ अपर आयुक्त न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत् होने से स्थिर रखा जाकर निगरानी निरस्त की जाये ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। तहसील न्यायालय के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा वसीयतनामे के आधार पर आवेदकगण के पक्ष में नामान्तरण का आदेश दिया गया है, जबकि उनके समक्ष वसीयतनामा संदेह से परे प्रमाणित नहीं हुआ है, ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त करने में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है और अनुविभागीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि करने में अपर आयुक्त द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है, क्योंकि वसीयतनामा प्रमाणित नहीं होने से वारिसाना नामान्तरण किया जाना ही न्यायिक कार्यवाही है । इस प्रकार दोनों अधीनस्थ अपीलीय न्यायालयों द्वारा निकाले गये समवर्ती निष्कर्ष हस्तक्षेप योग्य नहीं है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 04–04–2002 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर